

आपदा प्रबंधन प्रभाग के संबंध में महत्वपूर्ण विकास, पहल और नई योजनाएं

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना :

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में भारत की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) जारी की, जो पूरी तरह से सेंदाई फ्रेमवर्क के अनुरूप है। इसका उद्देश्य भारत को आपदा लचीला बनाना और जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। एनडीएमपी में 2019 में संशोधन किया गया था।

2. राष्ट्रीय आपदा मोचन रिजर्व (एनडीआरआर) की स्थापना :

वर्ष 2014 में, सरकार ने 250 करोड़ रुपये की आवर्ती निधि (रिवॉल्विंग फंड) के साथ एनडीआरआर की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया था, ताकि किसी आपदा के बाद तत्काल राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक साजो-सामान तैयार रहे। एनडीआरआर का उद्देश्य 4 लाख प्रभावित लोगों (मैदानी इलाकों में 2.5 लाख और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 1.5 लाख) को राहत प्रदान करना है।

3. तत्काल मोचन हेतु एनडीआरएफ की अतिरिक्त बटालियनों का गठन:

वर्ष 2015 में, एनडीआरएफ की दो अतिरिक्त बटालियनों का गठन किया गया और वे कार्य कर रही हैं। वर्ष 2018 में, मंत्रिमंडल ने एनडीआरएफ की 4 और बटालियनों का गठन करने की मंजूरी दी। अब, एनडीआरएफ की 16 ऑपरेशनल बटालियन हैं, जो किसी भी आपदा के दौरान तत्काल राहत-बचाव कार्य के लिए तैयार हैं।

4. आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) की स्थापना:

माननीय प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) क्लाइमेट एक्शन समिट में आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) का शुभारंभ किया।

वर्ष 2019 में इसकी शुरुआत के बाद से, सीडीआरआई की सदस्य संख्या लगातार बढ़ी है और आर्थिक रूप से उन्नत देश, विकासशील देश और जलवायु परिवर्तन एवं आपदाओं

(3)

बिनाय कृष्ण (बीके) (B.K.)
Deputy Secretary
Ministry of Home Affairs
भारत सरकार, नई दिल्ली
Dept. of India, New Delhi

से सबसे अधिक प्रभावित देश इसमें शामिल हो रहे हैं। वर्तमान में 31 देशों और 8 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने गठबंधन में शामिल होने के लिए सीडीआरआई चार्टर का अनुसमर्थन किया है।

सीडीआरआई ने छोटे द्वीप राज्यों के सतत विकास के लिए एक समर्पित कार्यक्रम अर्थात् इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स (आईआरआईएस) बनाया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिजी, जमैका और मॉरीशस के प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से 2 नवंबर 2021 को सीओपी-26 में इस पहल की शुरुआत की गई थी।

5. सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार:

इस पुरस्कार की स्थापना 2018-19 में की गई थी, जिसमें भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर की जाती है।

6. राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना:

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना का पहला चरण दिसंबर 2018 में तटीय राज्यों, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में सफलतापूर्वक पूरा हुआ। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना के दूसरे चरण का कार्यान्वयन 6 तटीय राज्यों अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल में किया जा चुका है।

7. मॉडल अग्नि विधेयक :

गृह मंत्रालय ने 16.09.2019 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके संबंधित अग्निशमन सेवा विधेयकों में संशोधन करने/ विधेयक तैयार करने के लिए 'राज्यों हेतु अग्निशमन और आपातकालीन सेवा का प्रावधान करने के लिए' एक मॉडल विधेयक परिचालित किया था। दस (10) राज्य मॉडल अग्निशमन विधेयक के अनुसार अपने संबंधित अग्निशमन सेवा अधिनियमों में संशोधन कर चुके हैं।

(B)
(विदीप कुमार बिस्वास)
(BIDIP KUMAR BISWA)
उप सचिव
Deputy Secretary
गृह
Ministry of Home Affairs
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

8. अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण योजना:

राज्यों की अग्निशमन सेवाओं की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने अग्निशमन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान सहायता के माध्यम से रु. 5000 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं। दिनांक 04.07.2023 को गृह मंत्रालय द्वारा एनडीआरएफ की 'तैयारी और क्षमता निर्माण निधि विंडो' के तहत राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना जारी की गई है।

9. अंतर मंत्रालय केन्द्रीय टीम (आईएमसीटी) का गठन:

पहले की परिपाटी से हटकर, अगस्त 2019 में, सरकार ने प्रभावित राज्य से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना, प्राकृतिक आपदा के तुरंत बाद अंतर मंत्रालयी केन्द्रीय टीम (आईएमसीटी) को प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया है।

10. एनडीआरएफ अकादमी :

जनवरी, 2020 में, माननीय गृह मंत्री ने एनडीआरएफ अकादमी की आधारशिला रखी। अकादमी के दिसंबर 2024 तक पूरा होने की संभावना है।

11. भारत आपदा मोचन नेटवर्क (IDRN):

माननीय गृह मंत्री के निर्देश पर, एक ऑनलाइन भारत आपदा मोचन नेटवर्क (आईडीआरएन) शुरू किया गया है, जिसमें जिला स्तर पर सरकारी और निजी क्षेत्र में आपदा मोचन उपकरणों की सूची को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है, जिसका उपयोग किसी भी आपदा के दौरान किया जा सकता है।

12. राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ):

सरकार ने फरवरी, 2021 में राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) का गठन किया। एनडीएमएफ के तहत कोष आवंटन 13,693 करोड़ रु.; और राज्य आपदा शमन कोष (एसडीएमएफ) के तहत आवंटन 32,031 करोड़ रु. है।


विशेष सहायक सचिव (आपदा प्रतिक्रिया)
गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

13. भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क (IUINDR-NIDM):

माननीय प्रधानमंत्री के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के 10 सूत्री एजेंडे के तहत भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क (आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम) की स्थापना की गई थी। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय द्वारा कर्टन रेज़र कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 25 फरवरी, 2021 को किया गया। यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ज्ञान उत्पादों के सहयोगात्मक विकास के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। अब तक, 312 विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क में शामिल हुए हैं।

14. आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय मंच (एनपीडीआरआर) के तीसरे सत्र का आयोजन:

एनपीडीआरआर का तीसरा सत्र दिनांक 10-11 मार्च 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "बदलती जलवायु में स्थानीय प्रतिरोधी क्षमता का निर्माण" विषय पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर तेजी से बदलते आपदा जोखिम परिदृश्य के संदर्भ में, स्थानीय क्षमता निर्माण के लिए पीएम के 10-सूत्रीय एजेंडे की तर्ज पर है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था और इसकी अध्यक्षता माननीय गृह मंत्री ने की थी। इसमें देश भर से 1200 से अधिक प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।

15. आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) से संबंधित प्रमुख योजनाएं:

(i) आपदा मित्र योजना :

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए, 350 बहु-जोखिम आपदा संभावित जिलों में 1,00,000 सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए मार्च 2021 में 369.41 करोड़ रुपये के परिव्यय से आपदा मित्र योजना स्वीकृत की गई। अब तक 97,152 आपदा मित्र स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(B)

(विदेश विभाग, भारत सरकार)
उप सचिव
Deputy Secretary,
गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

(ii) एकीकृत अलर्ट प्रणाली (सीएपी) योजना :

मोबाइल फोन के माध्यम से, आसन्न आपात स्थिति/ आपदा के संबंध में भौगोलिक आधारित तत्काल अलर्ट प्रदान करने के लिए मार्च 2021 माह में 354.83 करोड़ रुपये के परिव्यय से कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल (सीएपी) योजना स्वीकृत की गई। इस योजना के लॉन्च के बाद से, CAP के माध्यम से 2000 करोड़ से अधिक अलर्ट संदेश वितरित किए गए हैं।


(iii) 'डायल 112' इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस):

आपदा आपात स्थिति के लिए 'डायल 112' अपार मोचन सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) योजना को लागू किया जा रहा है। इस योजना, जो आपदाओं के लिए भी आपातकालीन कॉल से संबंधित समस्याओं का निवारण करेगा, के अखिल भारतीय कार्यान्वयन के लिए 41.75 करोड़ रुपये के परिव्यय से योजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना को आपदा से संबंधित आपातकालीन कॉलों पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सके।

(iv) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एनडीएमआईएस):

एक व्यापक ऑनलाइन मॉड्यूल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एनडीएमआईएस) विकसित किया गया है-

- एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मॉड्यूल राज्यों द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के तहत बुक


(बिदय कुमार बिस्वास)
BIDHAN KUMAR BISWAS
उप सचिव
Deputy Secretary
गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

किए गए व्यय के अद्यतन की सुविधा प्रदान करता है। यह एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के लिए किए गए योगदान (केंद्र शेयर और राज्य शेयर दोनों) को अपडेट करने में भी सक्षम बनाता है।

- सेंडाई फ्रेमवर्क मॉड्यूल का उद्देश्य देश भर में आपदा क्षति और हानि डेटा को कैचर करना और सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम न्यूनीकरण (एसएफडीआरआर) के लक्ष्य ए, बी, सी और डी की निगरानी करना है। राज्य और उनके संबंधित जिले स्थानीय आपदाओं के नुकसान के आंकड़े दर्ज करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क की राष्ट्रीय कार्यान्वयन प्रगति की निगरानी करने में सक्षम होगा।

(B)

(विदय कुमार बिस्वास)
BIDIP KUMAR BISWAS
उप सचिव
Deputy Secretary
गृह विभाग
Ministry of Home Affairs
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi